

आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ



नीट-2021 (NEET- 2021) की मेरिट सूची को अंगीकार करते हुये आयुष यू0जी0 कोर्स (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी कालेजों में यू0जी0 कोर्स) में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग 2021
**Counselling of AYUSH (Ayurveda, Unani & Homeopathy UG Course
in) Counselling- 2021 Adopting NEET- 2021 Merit List**

वेबसाइट www.ugcounselling.ayushup.in

आयुष विद्या के यू0जी0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका
Brochure for Online Registration for Admission in AYUSH Stream UG Courses

उत्तर प्रदेश राज्य के आयुष विद्या के राजकीय महाविद्यालयों/निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालय/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी के यू0जी0 पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु

For UG Courses of AYUSH Stream in Government/ Private, including State University/Minority University Ayurveda, Unani & Homeopathy Institutions.

Disclaimer: Department of AYUSH, Govt. of Uttar Pradesh will conduct online registration procedure as per the information filled by the candidates. Department of AYUSH, Govt. of Uttar Pradesh will not be responsible for any technical fault or delay due to electricity failure.

अस्वीकृति-आयुष विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचनाओं द्वारा पूर्ण की जायेगी। आयुष विभाग उत्तर प्रदेश किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा या विद्युत आपूर्ति बाधा के कारण विलम्ब के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

Candidates are required to assess their eligibility carefully before applying/ depositing registration fee. The eligibility will be checked from original documents at the time of documents verification before counseling. Deposited fee will not be refund in any case.

अभ्यर्थी आवेदन/पंजीकरण शुल्क जमा करने से पूर्व अपनी अर्हता के सम्बन्ध में भली-भांति स्वयं परीक्षण कर लें। काउन्सिलिंग के समय अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों से अभिलेखों के मिलान से अभ्यर्थी की अर्हता का सत्यापन किया जायेगा। जमा किये गये शुल्क की वापसी किसी भी स्थिति में नहीं होगी।

अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है DigiLocker अथवा अन्य माध्यमों से अभिलेखों का सत्यापन नहीं किया जायेगा।

ju4v MS

2023

प्रवेश प्रक्रिया अथवा प्रवेश के उपरान्त किसी भी स्तर पर यदि कोई सूचना असत्य पायी जाती है, तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर, उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

शासनादेश संख्या 4396/96-आयुष-1-2021-157/2021 आयुष अनुभाग-1 दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 के अनुक्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी) कालेजों में यू0जी0 कोर्स में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

आयुष विधा के यू0जी0 पाठ्यक्रम (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी) कालेजों में यू0जी0 कोर्स में प्रवेश हेतु प्रवेश की अन्तिम तिथि एन0सी0आई0एस0एम0 के निर्देशानुसार

समय सारणी

(1)-प्रथम काउंसिलिंग	
1-ऑन लाइन पंजीकरण एवं विकल्प भरने की अवधि	दिनांक 01.02.2022 से 14.02.2022
2-मेरिट सूची एवं काउंसिलिंग पत्र डाउनलोड तिथि	दिनांक 15.02.2022
3-ऑन लाइन आवंटित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन	दिनांक 17/18/19.02.2022 एवं 21.02.2022
4-संस्थाओं द्वारा प्रवेशित छात्रों की सूची प्रेषित करने की अंतिम तिथि	दिनांक 26.02.2022
5- सीट अपग्रेडेशन की तिथि	दिनांक 28.02.2022
6-अपग्रेडेड छात्रों को अपग्रेडेड संस्था में प्रवेश से पूर्व सत्यापन की तिथि	दिनांक 02.03.2022
(2)-द्वितीय काउंसिलिंग	
1-ऑन लाइन पंजीकरण एवं विकल्प भरने की अवधि	दिनांक 03.03.2022 से 14.03.2022
2-मेरिट सूची एवं काउंसिलिंग पत्र डाउनलोड तिथि	दिनांक 16.03.2022
3-ऑन लाइन आवंटित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन	दिनांक 21.03.2022 से 24.03.2022
4-संस्थाओं द्वारा प्रवेशित छात्रों की सूची प्रेषित करने की अंतिम तिथि	दिनांक 30.03.2022
माप-अप राउण्ड की काउंसिलिंग	
1-ऑन लाइन पंजीकरण तिथि	दिनांक 30.03.2022 से 08.04.2022
2-मेरिट सूची एवं काउंसिलिंग पत्र डाउनलोड तिथि	दिनांक 10.04.2022
3-ऑफ लाइन ऑन स्पॉट प्रवेश हेतु काउंसिलिंग तिथि	दिनांक 13.04.2022 से 16.04.2022
4-संस्थाओं द्वारा प्रवेशित छात्रों की सूची प्रेषित करने की अंतिम तिथि	दिनांक 20.04.2022

काउंसिलिंग स्थल-राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, निकट हैनीमैन चौराहा, गोमती नगर, लखनऊ।

पंजीकरण शुल्क

नीट यू0जी0 2021 की मेरिट के आधार पर आयुष यू0जी0 कोर्स में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्रों को वेबसाइट पर ऑन लाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऑन लाइन पंजीकरण के रूप में प्रत्येक छात्र से पंजीकरण शुल्क के रूप में रु0 2000/- (रुपये दो हजार मात्र) ऑन लाइन प्रक्रिया के माध्यम से लिया जायेगा। पंजीकरण शुल्क पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग द्वारा जमा होगी।

(8) सिक्वोरिटी मनी (धरोहर धनराशि)

नीट यू0जी0 2021 की मेरिट के आधार पर आयुष यू0जी0 कोर्स में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग के माध्यम से राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों में आवंटन प्राप्त छात्र/छात्राओं को धरोहर धनराशि (सिक्वोरिटी मनी) के रूप में रु0 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों हेतु यह धनराशि रु0 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र), जो बैंक ड्राफ्ट "NIDESHAK AYURVEDIC & UNNANI SEWA UP LKO" के पक्ष में एवं PAYBLE AT LUCKNOW, राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट ही लिया जायेगा।

सिक्वोरिटी मनी (धरोहर धनराशि) च्वाईस फिलिंग(विकल्प) से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में च्वाईस फिलिंग(विकल्प) में प्रतिभाग नहीं कर पायेंगे।

जिन छात्र/छात्राओं द्वारा आवंटन के पश्चात् संबंधित कालेजों में प्रवेश ले लिया जायेगा, उनकी धरोहर धनराशि संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से प्रवेशित छात्र को वापस कर दिया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात् पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है तो उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

NEET 2021 के माध्यम से अर्ह घोषित छात्रों के आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी) यू0जी0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा आरक्षण के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश —

--::अर्हतायें (Eligibility)::--

01. राजकीय क्षेत्र के आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी) कालेजों हेतु अर्हताएं :-

(क) ऐसे छात्र जिन्होंने NEET 2021 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो, वही काउंसिलिंग हेतु अर्ह माने जायेंगे। पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में वेबसाइट द्वारा अभ्यर्थी के अभ्यर्थन के क्रम में प्राप्त प्रिन्ट आउट ही मान्य होगा।

(ख) प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी कालेजों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।

(1) जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।

(2) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल/इन्टरमीडियट अथवा समकक्ष परीक्षा में से कोई एक परीक्षा अथवा दोनों परीक्षाएँ उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो, को सामान्य प्रशासन अनुभाग के शासनादेश संख्या-157/तीन-2003-77(11)83, दिनांक-18.02.2003 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित अभ्यर्थियों को डोमेसाईल/सामान्य निवास सम्बन्धी प्रमाण-पत्र अभिलेख सत्यापन एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पुराना प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। (संलग्नक संख्या-1)

02. निजी क्षेत्र की आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी कालेजो हेतु अर्हताएं:-

ऐसे छात्र जिन्होंने NEET 2021 की परीक्षा में प्रतिभाग किया हो एवं उत्तीर्ण किया हो तथा निर्धारित आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो, वही काउंसिलिंग हेतु अर्ह माने जायेंगे। निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी कालेजों, विश्वविद्यालयों की सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना या हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा।

-:शैक्षिक अर्हता:-

अभ्यर्थी को इन्टरमीडिएट विज्ञान (बॉयोलॉजी/जैव प्रौद्योगिकी ग्रुप) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बी०ए०एम०एस०/बी०यू०एम०एस० तथा बी०एच०एम०एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के रेगुलेशन के अनुसार निर्धारित अर्हताएं लागू होंगी। इसके अनुसार किसी भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड या अन्य मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा संचालित परीक्षा में अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। बी०ए०एम०एस०/बी०यू०एम०एस० तथा बी०एच०एम०एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग द्वारा निर्धारित अर्हताएं ही मान्य होंगी, जो निम्नवत हैं :-

1. अनारक्षित अभ्यर्थियों को अर्हता परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी, में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य तथा नीट परीक्षा 2021 में 50th परसेन्टाइल (Percentile) अंक एवं अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांग छात्रों को नीट परीक्षा में 45th परसेन्टाइल (Percentile), जैसा कि ऑल इण्डिया नीट 2021 के ऑनलाइन ब्रोशर में व्यवस्था निहित है, प्राप्त करना आवश्यक होगा।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा इन श्रेणियों के दिव्यांग छात्रों के लिए अर्हता परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी, में औसत 40 प्रतिशत अंक एवं अंग्रेजी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य तथा नीट 2021 की परीक्षा में 40th परसेन्टाइल (Percentile) अंक जैसा कि ऑल इण्डिया नीट 2021 के ऑनलाइन ब्रोशर में व्यवस्था निहित है, प्राप्त करना आवश्यक होगा।
3. यूनानी कालेजों में बी०यू०एम०एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इन्टरमीडिएट (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी, एवं अंग्रेजी) के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी को कक्षा-10 के समकक्ष उर्दू विषय की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा (काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थी के उर्दू ज्ञान की भी पुष्टि की जायेगी)।
4. मा० न्यायालयों के आदेशों के क्रम में यदि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार/एन०सी०आई०एस०एम०/एन०एच०सी०, नई दिल्ली द्वारा अर्हता में परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।
5. आयु :-

अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए	दिनांक-05.05.1996 से 31.12.2004 के मध्य जन्म हुआ हो।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग श्रेणी के लिए	दिनांक-05.05.1991 से 31.12.2004 के मध्य जन्म हुआ हो।

आरक्षण Reservation

(01) राजकीय क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी एवं होम्योपैथिक कालेजों में आरक्षण :-

प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा :-

उर्ध्वाधर आरक्षण (वर्टिकल)

1	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत
4	आर्थिक रूप से कमजोर (E.W.S.) वर्ग के अभ्यर्थी	10 प्रतिशत

नोट :- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी0सी0 दिनांक 08.02.2019 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार E.W.S. का आरक्षण उन्हीं पुराने कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में लागू होगा जिनमें भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग/राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग नई दिल्ली द्वारा E.W.S. के आरक्षण हेतु सीटों में वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी।

क्षैतिज आरक्षण (हॉरिजेंटल)

नीट यू0जी0 2021 में विभिन्न श्रेणी के प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नवत् क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल)

आरक्षण प्रदान किया जायेगा:-

1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये	02 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/ सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों के लिए	02 प्रतिशत
3	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए	05 प्रतिशत
4	महिला अभ्यर्थियों के लिए	20 प्रतिशत
5	'बी' ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेट एन0सी0सी0 कैडेट	01 प्रतिशत

आरक्षित श्रेणियों की सीटों के संबंध में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जायेगा :-

(क) काउंसिलिंग में सम्मिलित सीटों पर श्रेणी/उपश्रेणीवार नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू किये जाने का दायित्व काउंसिलिंग बोर्ड का होगा।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्रियों एवं पुत्र/पुत्री के पुत्र/पुत्रियों की श्रेणी के आरक्षित अभ्यर्थियों के लिये संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर दिये गये प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

(ग) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-18/1/2008-का-2-2015, दिनांक-21.04.2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम-1993 (यथासंशोधित) में प्राविधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित-पुत्र, पुत्री, पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी अर्थात् जिलाधिकारी द्वारा ही आश्रित प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) स्पेशल अपील संख्या-689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावत बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में विस्थापित होकर आये छात्रों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।

(ङ) रिट सी संख्या-1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा हॉरिजॉन्टल आरक्षण के संबंध में दिनांक 24.3.2017 को पारित आदेश द्वारा पूर्व में सम्पन्न की

11/4/21

जा रही काउंसिलिंग में अपनाई जा रही हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रक्रिया पर टिप्पणी की गई है, जिसके अनुसार क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर ही अनुमन्य होगा।
(च) उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में आयुष यू0जी0 कोर्स, 2021 में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग के संबंध में जारी किये जाने वाले ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ प्रदान किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2021 या उसके बाद का निर्गत होना अनिवार्य होगा।

दिव्यांगजनों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के निःशक्त जन अधिनियम-2016 के प्राविधानानुसार 05 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण दिये जाने के प्राविधान के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जायेगा और दिव्यांगजन के प्रमाण पत्र की जाँच के संबंध में नोडल सेन्टर/मेडिकल कालेजों में मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था का उल्लेख ब्रोशर में स्पष्ट रूप से करते हुए मेडिकल कालेजों में मेडिकल बोर्ड की बैठने की तिथि निश्चित करते हुए ससमय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

—निजी क्षेत्र हेतु आरक्षण —

निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं में किसी भी प्रकार का आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों से शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में:-

1. निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों हेतु यह अनिवार्य होगा कि वह शासन द्वारा निर्धारित शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे एवं अल्पसंख्यक संस्थान भी अपने कालेजों हेतु निर्धारित शुल्क अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे।

—: काउंसिलिंग प्रक्रिया :-

काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रथम व द्वितीय चक्र में सम्पन्न की जायेगी। अभ्यर्थी को प्रथम चक्र से आवंटित सीट पर प्रवेश प्राप्त करना होगा, आवंटन के पश्चात् प्रवेश न लेने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने के पश्चात् ही द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के लिए अर्ह होंगे।

प्रथम चक्र से अनावंटित/प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे तथा इन्हें पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित सीट को द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में Resuffle (अपग्रेड) कर सकता है। द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से Resuffle (अपग्रेड) होने के उपरान्त पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित कर दी जायेगी, Resuffle (अपग्रेड) न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश ली गयी सीट यथावत् बनी रहेगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र में सीट आवंटित हो जाती है और वे द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में भी भाग लेते हैं तथा द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में भी उन्हें प्रथम चक्र में आवंटित सीट ही पुनः आवंटित हो जाती है तो उन्हें द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के पश्चात् पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। अन्यथा उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा और उक्त सीट को रिक्त मानते हुए मॉपअप राउण्ड से भर दिया जायेगा।

Resuffle (अपग्रेड) के नियम :-

- प्रथम काउंसिलिंग के पश्चात् अपग्रेड की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
- यदि किसी अभ्यर्थी का उसके द्वारा चुने गये विकल्पों में से कोई भी कालेज अपग्रेड होता है तो उसे अपग्रेडेड कालेज में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

- अभ्यर्थी को ऊध्वार्धर एवं क्षैतिज आरक्षण के आधार पर ही अपग्रेड किया जायेगा।
- अपग्रेडेड कालेज में नियत समय में प्रवेश न लेने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन दोनों सीटों से समाप्त हो जायेगा। ऐसी दशा में अभ्यर्थी का किसी भी सीट पर दावा स्वीकार नहीं होगा एवं अभ्यर्थी की धरोहर धनराशि भी जब्त हो जायेगी।
- अपग्रेड की प्रक्रिया राजकीय एवं निजी क्षेत्र के कालेजों में प्रवेश पाये अभ्यर्थियों तथा ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम काउंसिलिंग द्वारा भरे विकल्प में से सीट आवंटित नहीं हो पायी है उन्हें भी उनके भरे हुए विकल्प के अनुसार अपग्रेड होने का अवसर दिया जायेगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम काउंसिलिंग में सीट आवंटित हो गयी हो परन्तु वह अभिलेख सत्यापन के समय उपस्थित नहीं हुए, उन अभ्यर्थियों को अपग्रेड होने का अवसर नहीं दिया जायेगा।
- ऐसे अपग्रेडेड अभ्यर्थी को अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात् ही प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।
- यदि निजी क्षेत्र के कालेज से राजकीय कालेज में अपग्रेडेशन होता है तो अपग्रेड हुए अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि प्रवेश पाये महाविद्यालय के माध्यम से अभ्यर्थी को वापस कर दी जायेगी।
- निजी क्षेत्र के कालेज में प्रवेशित अभ्यर्थी को अपग्रेड द्वारा सीट का आवंटन होने की दशा में पूर्व कालेज में आवंटित सीट के सापेक्ष प्रवेश देने वाले कालेज को अभ्यर्थी से लिया गया सम्पूर्ण शुल्क वापस करना होगा।
- अपग्रेडेशन के लिए उन्हीं अभ्यर्थियों को अवसर दिया जायेगा जिनके द्वारा वेबसाइट पर उपलब्ध अपग्रेडेशन फार्म/घोषणा पत्र भरकर अभिलेखों के सत्यापन के समय उपलब्ध कराया जायेगा।
- अपग्रेड होने की सूचना अभ्यर्थी को वेबसाइट पर दी जायेगी एवं अभ्यर्थी द्वारा पंजीकरण के समय भरे गये ई-मेल पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

उदाहरण-

माना कि रामनरेश (काव्यनिक नाम) ने प्रथम वरीयता विकल्प राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, बरेली दिया परन्तु उसका आवंटन राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, मुजफ्फरनगर में हो गया एवं उसने मुजफ्फरनगर में प्रवेश ले लिया। किन्तु उसका अपग्रेडेशन राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, बरेली में हो गया, अब उसे राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, बरेली जाना अनिवार्य है अन्यथा मुजफ्फरनगर एवं बरेली अर्थात् दोनों कालेजों में हुए प्रवेश को निरस्त माना जायेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि भी जब्त हो जायेगी।

मॉपअप राउण्ड आवंटन :-

द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के पश्चात राजकीय एवं निजी क्षेत्र की आयुष विधाओं की अवशेष सीटों को मॉपअप राउण्ड के माध्यम से भरा जाना है। दोनों चक्रों की काउंसिलिंग एवं माप-अप राउण्ड के माध्यम से आवंटन/प्रवेश की प्रक्रिया **राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, नियर हैनीमैन चौराहा, गोमती नगर, लखनऊ** में सम्पन्न की जायेगी।

मॉपअप राउण्ड हेतु निम्न अभ्यर्थी अर्ह होंगे-

1. (i) माप अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु नीट 2021 के अर्ह अभ्यर्थियों को ₹0-2000/- पंजीकरण शुल्क आनलाइन प्रक्रिया से जमा करते हुए संबंधित वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पूर्व से पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सिक्योरिटी धनराशि जमा है तथा उन्हें कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, को पुनः पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य है परन्तु उन्हें कोई धरोहर धनराशि जमा नहीं करनी होगी।
मापअप राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो **अथवा** ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने निजी क्षेत्र के आयुष पाठ्यक्रम (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी कालेजों में प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेश ले लिया है तथा प्रवेशित सीट से त्याग पत्र

21/5/21 7 ML

for

देना चाहता है तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के पंजीकरण से दो दिवस पूर्व (उदाहरणार्थ: यदि द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग का पंजीकरण 03.03.2022 से प्रारम्भ है तो अभ्यर्थी 01.03.2022 को सांय 4:00 बजे तक) अपनी सीट से त्याग पत्र दे सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की जमा सिक्कोरिटी मनी (धरोहर धनराशि) से 50 प्रतिशत की कटौती करते हुये वापस देय होगी।

- (ii) प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात प्रथम व चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी। फिर भी यदि मॉप-अप राउण्ड से दो दिवस पूर्व (उदाहरणार्थ: यदि मॉप-अप राउण्ड की काउंसिलिंग का पंजीकरण 30.03.2022 से प्रारम्भ है तो अभ्यर्थी 28.03.2022 को सांय 4:00 बजे तक) अपनी सीट से त्याग पत्र दे सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की जमा सिक्कोरिटी मनी (धरोहर धनराशि) से 50 प्रतिशत की कटौती करते हुये वापस देय होगी।
2. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रवेश ले चुके हैं और त्यागपत्र देकर पुनः काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी जमा धरोहर धनराशि का 50 प्रतिशत पुनः जमा करना अनिवार्य होगा।
3. आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया आन स्पार्ट पूर्ण की जायेगी।
4. इस आवंटन में कोई पुनरावन्तन (Reshuffling) अनुमत्य नहीं होगा।
5. मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

विशेष आवंटन (मॉपअप राउण्ड) में अभ्यर्थियों को समान पाठ्यक्रम में कालेज का परिवर्तन/ पुनरावन्तन अनुमत्य नहीं होगा, यद्यपि पाठ्यक्रम/विधा परिवर्तन (Course Change) का विकल्प ही अनुमत्य होगा। मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग करने वाले छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया आवंटन स्थल पर ही सम्पन्न की जायेगी।

(15) अभिलेखों का सत्यापन

निम्नलिखित अभिलेखों का सत्यापन अभ्यर्थी द्वारा कराया जायेगा:-

शैक्षणिक अभिलेख-

1. नीट-2021 परीक्षा प्रवेश पत्र एन0टी0ए0 द्वारा जारी।
2. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंकपत्र तथा प्रमाण पत्र।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत सामान्य या मूल निवास प्रमाण पत्र।
4. आरक्षण के दावे से संबंधित प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग/ई0डब्ल्यू0एस0/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों/भूतपूर्व सैनिकों/दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र/एन.सी.सी. "सी" सर्टीफिकेट सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत हो (अभ्यर्थी जिस आरक्षित श्रेणी का दावा करेगा, उससे संबंधित प्रमाण पत्र उसके द्वारा सत्यापित कराया जायेगा।)
5. पहचान प्रमाण पत्र(आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट)।

(16) दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन-

दिव्यांगजन के प्रमाण पत्र की जाँच किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (के0जी0एम0यू0) लखनऊ में दिनांक-..... एवं तथा दिनांक-.....एवं..... को मेडिकल बोर्ड द्वारा की जायेगी। अभ्यर्थी अभिलेखों के सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित होने पर विकलांग बोर्ड द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत करेंगे।

अभिलेखों के सत्यापन एवं काउंसिलिंग हेतु नोडल सेन्टर

1. उक्त उल्लिखित अभिलेखों का सत्यापन कराये जाने हेतु अभ्यर्थियों को राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज गोमतीनगर, लखनऊ में मूल अभिलेखों सहित स्वयं उपस्थित होना होगा। उपस्थित होने हेतु तिथि एवं समय की सूचना पृथक से संबंधित वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। इस हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

21/4/22

MR

संलग्नक - 1

संख्या-157/तीन-2003-77(11)/83

प्रेषक,
तुलसी गौड़,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक : 18 फरवरी, 2003

विषय :-डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में
प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

जिलाधिकारी के समक्ष डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होते रहते हैं। डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंध प्रमाण पत्र की आवश्यकता सामान्यतया पैरा-मिलिट्री व अन्य संस्थाओं में रोजगार हेतु भर्ती, डिग्री कालेज व विश्वविद्यालयों में प्रवेश एवं एल0पी0जी0-केरोसिन डीजल डीलरशिप आदि प्राप्त करने के मामलों में होती है। प्रायः जनपदों में ऐसे नामले शासन को संदर्भित कर दिये जाते हैं।

2- डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि उक्त प्रमाण पत्र को " नागरिकता " जैसे महत्वपूर्ण तथा अहम बिन्दु से जोड़ कर देखा जा रहा है जिससे भ्रम की स्थिति बनी रहती है एवं अनायास डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र जारी किये जाने विषयक प्रक्रिया को " नागरिकता " से जोड़कर देखने से उत्पन्न हुए भ्रम के कारण ही कभी-कभी शासन को असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त समस्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अब तक डोमीसाईल/सामान्य निवास

1- यह शासनार्थक इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, जो कि प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को प्राप्त होना चाहिए।

2- इस शासनार्थक की प्रमाणीकता के लिए साइट <http://spn.sarabodh.com> से सत्यापित की जा सकती है।

मा.स. (9)

संबंधी साटिफिकेट जारी करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया विषयक शासनादेश संख्या-भा0स0-55/तीन-99-77 (11)/83, दिनांक 15-02-2000 को निरस्त करते हुए एतद्वारा डोमीसाईल/सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया प्रख्यापित की जाती है :-

- (1) सामान्य निवास प्रमाण पत्र अधिकतर किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश हेतु अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजनार्थ जारी किया जायेगा एवं यह प्रमाण पत्र इन्हीं प्रयोजनों के लिए मान्य होगा व तदनुसार यह प्रमाण पत्र पर उल्लिखित होगा।
- (2) संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट अथवा उनके द्वारा इस हेतु लिखित रूप में अधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट यह प्रमाण पत्र देने के लिए "सक्षम अधिकारी" होंगे।
- (3) प्रमाण पत्र पाने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निवासी हों अथवा वह अस्थायी रूप से गत तीन वर्ष से उस जनपद में निवास कर रहा हो।
- (4) जो व्यक्ति किसी ऐसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी सेवा में है जो स्थानान्तरणीय है, को नियमों में शिथिलता प्रदान की जायेगी।
- (5) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप-1 पर प्रार्थना पत्र दो प्रतियों में देना होगा। प्रार्थना पत्र पर आवेदक के दो नवीनतम फोटो होना आवश्यक है। एक फोटो अभिलेखनार्थ व दूसरा प्रमाण पत्र चरखा कर (निर्गमन अधिकारी द्वारा मुहर व हस्ताक्षर सहित जारे करने हेतु) प्रस्तुत करके प्रार्थना पत्र का प्रारूप-1 संलग्न है।
- (6) प्रार्थी द्वारा निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा यथा-जो शासकीय सेवा में राजपत्रित अधिकारी हो, संसद सदस्य, विधायक अध्यक्ष जिला पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापन पत्र संलग्न प्रारूप पर, प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
- (7) किसी भी शिक्षण संस्था या सेवायोजक का प्रमाण पत्र, अध्यक्ष ग्राम पंचायत, अध्यक्ष नगर पंचायत का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं।

2- इस शासनादेश की प्रमाणितता वेब साइट <http://www.dharmasatya.com> पर उपलब्ध है।

चुनाव परिचय पत्र, आयकर का स्थायी लेखा संख्या (पीओएनओ), भवन कर जल कर, बिजली बिल आदि भी आवेदक पत्र के प्रस्तर-4 के प्रयोजनार्थ अनुमन्य होंगे। इनमें से कोई भी एक अभिलेख प्रार्थना पत्र के साथ सलग्नित किया जायेगा।

- (8) सक्षम प्राधिकारी या प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे आवेदन पत्र प्राप्त होने के साथ एक सप्ताह में जाँच हेतु संबंधित जाँच अधिकारी/कर्मचारी को प्राप्त करा दिया जाये। इसके उपरान्त उनसे दो सप्ताह में जाँच आख्या माँग ली जाये तथा इसके एक सप्ताह के अन्दर सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने का या उसकी जाँच आपत्तियों को आवेदक को सूचित कर दिया जाये।
- (9) सक्षम अधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट होने पर कि आवेदक या उसके माता-पिता उस जनपद के मूल निवासी हैं या कम से कम तीन वर्ष की अवधि से उस जनपद में निवास कर रहे हैं, तो वह प्रारूप-2 में सामान्य निवास प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे। प्रमाण पत्र का प्रारूप-2 संलग्न है।
- (10) उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के प्रयोजन के लिए ही जारी किया जायेगा तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय "दि सिटीजनशिप एक्ट-1955" में स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के मायम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अन्ततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।
- 4- कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(तुलसी गौड़)
सचिव।

- 1- यह शासनादेश उल्लेखनिवाली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://sharanadesh.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Dr. (11) 20/11/2019

पृष्ठ-1

उत्तर प्रदेश राज्य में सामान्य निवास संबंधी प्रमाण पत्र के लिए (केवल शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं सेवायोजन के प्रयोजन हेतु)
आवेदन पत्र का प्रारूप।

आवेदक का नाम

पिता/माता का अथवा पति/पत्नी का नाम

(क) आवेदक अथवा उसके माता-पिता के उस जनपद के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र (यदि है तो)

(ख) माता/पिता का जन्म स्थान (कब हुआ, मूल निवास कब से है, कब से कब तक)

(ग) उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में अचल सम्पत्ति का विवरण (यदि हो)

अभिलेखीय साक्ष्य के साथ

अथवा

सामान्य तौर से माता/पिता के निवासी होने (तीन वर्ष से अधिक अवधि से अस्थायी रूप से निवासी होने) विषयक प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान द्वारा तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका एवं उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा दिये जाने वाला प्रमाण पत्र)

पूरा वर्तमान पता

थाना

जनपद

तहसील

(तथा पिछले तीन वर्षों से निवास करने का पता, कब से कब तक)

उत्तर प्रदेश के उक्त जनपद में निवास करने की अवधि

(अभिलेखीय साक्ष्य के साथ उपर्युक्त बिन्दु-4 में की गयी व्यवस्थानुसार)

7(क) आवेदक का जन्म स्थान

(ख) जन्म तिथि

(ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका तथा उप नगर में टाउन एरिया के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होगा)

8- स्थायी पता

आवेदक का नवीनतम फोटो
सत्यापनकर्ता द्वारा
हस्ताक्षरित व मुहर सहित
परस्पर दी जाये

- 1- यह शासनादेश उत्तेजनात्मकता जारी किया गया है, अतः उस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश को प्रशासिका वेब साइट <http://ubhaskar.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(12)

M4a

ML

3- क्या आपने किसी अन्य जिला या प्रान्त से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया है
(यदि हो तो उसकी अनुप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करें)

10- प्रमाण पत्र किस प्रयोजन हेतु चाहिए

मैं..... घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त समस्त सूचनायें सत्य हैं व
मेरी स्वयं की जानकारी के आधार पर दी गयी है जिसके लिए मैं पूर्णतया उत्तरदायी हूँ।

आवेदक का पूरा नाम
तथा हस्ताक्षर

(नोट :- आवेदक के फोटो की एक अन्य प्रति फोटो के पीछे सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर
सहित आवेदन पत्र के साथ नत्थी की जाय।)

सत्यापन

1- श्री/श्रीमती/कुमारी.....
(जिनका अभिप्रमाणित फोटो इस आवेदन पर लगा है) पुत्र/पुत्री/पत्नी
निवासी/निवासिनी
ग्राम/मोहल्ला.....
पोस्ट..... जिनपद..... उत्तर प्रदेश की
में वर्षों से जानता हूँ।

2- श्री/श्रीमती/कुमारी..... वर्षों से
उक्त पते पर निवास कर रहा/रही है।

अथवा

3- श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी की या उसके माता/पिता
की ग्राम/मोहल्ला..... तहसील
जिला..... मैं अच्छत सम्पत्ति है।
दिनांक:

हस्ताक्षर,
सत्यापनकर्ता का नाम
पदनाम व मुहर।

उपरोक्त प्रस्ताव-2 या 3 में से किसी एक का सत्यापन वांछनीय है।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, जिन पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://chasanadash.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2 9/6 3/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 31/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9 29/9 30/9 31/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10 1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11 22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11 29/11 30/11 31/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 9/13 10/13 11/13 12/13 13/13 14/13 15/13 16/13 17/13 18/13 19/13 20/13 21/13 22/13 23/13 24/13 25/13 26/13 27/13 28/13 29/13 30/13 31/13 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14 10/14 11/14 12/14 13/14 14/14 15/14 16/14 17/14 18/14 19/14 20/14 21/14 22/14 23/14 24/14 25/14 26/14 27/14 28/14 29/14 30/14 31/14 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 6/15 7/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 13/15 14/15 15/15 16/15 17/15 18/15 19/15 20/15 21/15 22/15 23/15 24/15 25/15 26/15 27/15 28/15 29/15 30/15 31/15 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 13/16 14/16 15/16 16/16 17/16 18/16 19/16 20/16 21/16 22/16 23/16 24/16 25/16 26/16 27/16 28/16 29/16 30/16 31/16 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 13/17 14/17 15/17 16/17 17/17 18/17 19/17 20/17 21/17 22/17 23/17 24/17 25/17 26/17 27/17 28/17 29/17 30/17 31/17 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18 10/18 11/18 12/18 13/18 14/18 15/18 16/18 17/18 18/18 19/18 20/18 21/18 22/18 23/18 24/18 25/18 26/18 27/18 28/18 29/18 30/18 31/18 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19 13/19 14/19 15/19 16/19 17/19 18/19 19/19 20/19 21/19 22/19 23/19 24/19 25/19 26/19 27/19 28/19 29/19 30/19 31/19 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20 13/20 14/20 15/20 16/20 17/20 18/20 19/20 20/20 21/20 22/20 23/20 24/20 25/20 26/20 27/20 28/20 29/20 30/20 31/20 1/21 2/21 3/21 4/21 5/21 6/21 7/21 8/21 9/21 10/21 11/21 12/21 13/21 14/21 15/21 16/21 17/21 18/21 19/21 20/21 21/21 22/21 23/21 24/21 25/21 26/21 27/21 28/21 29/21 30/21 31/21 1/22 2/22 3/22 4/22 5/22 6/22 7/22 8/22 9/22 10/22 11/22 12/22 13/22 14/22 15/22 16/22 17/22 18/22 19/22 20/22 21/22 22/22 23/22 24/22 25/22 26/22 27/22 28/22 29/22 30/22 31/22 1/23 2/23 3/23 4/23 5/23 6/23 7/23 8/23 9/23 10/23 11/23 12/23 13/23 14/23 15/23 16/23 17/23 18/23 19/23 20/23 21/23 22/23 23/23 24/23 25/23 26/23 27/23 28/23 29/23 30/23 31/23 1/24 2/24 3/24 4/24 5/24 6/24 7/24 8/24 9/24 10/24 11/24 12/24 13/24 14/24 15/24 16/24 17/24 18/24 19/24 20/24 21/24 22/24 23/24 24/24 25/24 26/24 27/24 28/24 29/24 30/24 31/24 1/25 2/25 3/25 4/25 5/25 6/25 7/25 8/25 9/25 10/25 11/25 12/25 13/25 14/25 15/25 16/25 17/25 18/25 19/25 20/25 21/25 22/25 23/25 24/25 25/25 26/25 27/25 28/25 29/25 30/25 31/25 1/26 2/26 3/26 4/26 5/26 6/26 7/26 8/26 9/26 10/26 11/26 12/26 13/26 14/26 15/26 16/26 17/26 18/26 19/26 20/26 21/26 22/26 23/26 24/26 25/26 26/26 27/26 28/26 29/26 30/26 31/26 1/27 2/27 3/27 4/27 5/27 6/27 7/27 8/27 9/27 10/27 11/27 12/27 13/27 14/27 15/27 16/27 17/27 18/27 19/27 20/27 21/27 22/27 23/27 24/27 25/27 26/27 27/27 28/27 29/27 30/27 31/27 1/28 2/28 3/28 4/28 5/28 6/28 7/28 8/28 9/28 10/28 11/28 12/28 13/28 14/28 15/28 16/28 17/28 18/28 19/28 20/28 21/28 22/28 23/28 24/28 25/28 26/28 27/28 28/28 29/28 30/28 31/28 1/29 2/29 3/29 4/29 5/29 6/29 7/29 8/29 9/29 10/29 11/29 12/29 13/29 14/29 15/29 16/29 17/29 18/29 19/29 20/29 21/29 22/29 23/29 24/29 25/29 26/29 27/29 28/29 29/29 30/29 31/29 1/30 2/30 3/30 4/30 5/30 6/30 7/30 8/30 9/30 10/30 11/30 12/30 13/30 14/30 15/30 16/30 17/30 18/30 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 24/30 25/30 26/30 27/30 28/30 29/30 30/30 31/30 1/31 2/31 3/31 4/31 5/31 6/31 7/31 8/31 9/31 10/31 11/31 12/31 13/31 14/31 15/31 16/31 17/31 18/31 19/31 20/31 21/31 22/31 23/31 24/31 25/31 26/31 27/31 28/31 29/31 30/31 31/31 1/32 2/32 3/32 4/32 5/32 6/32 7/32 8/32 9/32 10/32 11/32 12/32 13/32 14/32 15/32 16/32 17/32 18/32 19/32 20/32 21/32 22/32 23/32 24/32 25/32 26/32 27/32 28/32 29/32 30/32 31/32 1/33 2/33 3/33 4/33 5/33 6/33 7/33 8/33 9/33 10/33 11/33 12/33 13/33 14/33 15/33 16/33 17/33 18/33 19/33 20/33 21/33 22/33 23/33 24/33 25/33 26/33 27/33 28/33 29/33 30/33 31/33 1/34 2/34 3/34 4/34 5/34 6/34 7/34 8/34 9/34 10/34 11/34 12/34 13/34 14/34 15/34 16/34 17/34 18/34 19/34 20/34 21/34 22/34 23/34 24/34 25/34 26/34 27/34 28/34 29/34 30/34 31/34 1/35 2/35 3/35 4/35 5/35 6/35 7/35 8/35 9/35 10/35 11/35 12/35 13/35 14/35 15/35 16/35 17/35 18/35 19/35 20/35 21/35 22/35 23/35 24/35 25/35 26/35 27/35 28/35 29/35 30/35 31/35 1/36 2/36 3/36 4/36 5/36 6/36 7/36 8/36 9/36 10/36 11/36 12/36 13/36 14/36 15/36 16/36 17/36 18/36 19/36 20/36 21/36 22/36 23/36 24/36 25/36 26/36 27/36 28/36 29/36 30/36 31/36 1/37 2/37 3/37 4/37 5/37 6/37 7/37 8/37 9/37 10/37 11/37 12/37 13/37 14/37 15/37 16/37 17/37 18/37 19/37 20/37 21/37 22/37 23/37 24/37 25/37 26/37 27/37 28/37 29/37 30/37 31/37 1/38 2/38 3/38 4/38 5/38 6/38 7/38 8/38 9/38 10/38 11/38 12/38 13/38 14/38 15/38 16/38 17/38 18/38 19/38 20/38 21/38 22/38 23/38 24/38 25/38 26/38 27/38 28/38 29/38 30/38 31/38 1/39 2/39 3/39 4/39 5/39 6/39 7/39 8/39 9/39 10/39 11/39 12/39 13/39 14/39 15/39 16/39 17/39 18/39 19/39 20/39 21/39 22/39 23/39 24/39 25/39 26/39 27/39 28/39 29/39 30/39 31/39 1/40 2/40 3/40 4/40 5/40 6/40 7/40 8/40 9/40 10/40 11/40 12/40 13/40 14/40 15/40 16/40 17/40 18/40 19/40 20/40 21/40 22/40 23/40 24/40 25/40 26/40 27/40 28/40 29/40 30/40 31/40 1/41 2/41 3/41 4/41 5/41 6/41 7/41 8/41 9/41 10/41 11/41 12/41 13/41 14/41 15/41 16/41 17/41 18/41 19/41 20/41 21/41 22/41 23/41 24/41 25/41 26/41 27/41 28/41 29/41 30/41 31/41 1/42 2/42 3/42 4/42 5/42 6/42 7/42 8/42 9/42 10/42 11/42 12/42 13/42 14/42 15/42 16/42 17/42 18/42 19/42 20/42 21/42 22/42 23/42 24/42 25/42 26/42 27/42 28/42 29/42 30/42 31/42 1/43 2/43 3/43 4/43 5/43 6/43 7/43 8/43 9/43 10/43 11/43 12/43 13/43 14/43 15/43 16/43 17/43 18/43 19/43 20/43 21/43 22/43 23/43 24/43 25/43 26/43 27/43 28/43 29/43 30/43 31/43 1/44 2/44 3/44 4/44 5/44 6/44 7/44 8/44 9/44 10/44 11/44 12/44 13/44 14/44 15/44 16/44 17/44 18/44 19/44 20/44 21/44 22/44 23/44 24/44 25/44 26/44 27/44 28/44 29/44 30/44 31/44 1/45 2/45 3/45 4/45 5/45 6/45 7/45 8/45 9/45 10/45 11/45 12/45 13/45 14/45 15/45 16/45 17/45 18/45 19/45 20/45 21/45 22/45 23/45 24/45 25/45 26/45 27/45 28/45 29/45 30/45 31/45 1/46 2/46 3/46 4/46 5/46 6/46 7/46 8/46 9/46 10/46 11/46 12/46 13/46 14/46 15/46 16/46 17/46 18/46 19/46 20/46 21/46 22/46 23/46 24/46 25/46 26/46 27/46 28/46 29/46 30/46 31/46 1/47 2/47 3/47 4/47 5/47 6/47 7/47 8/47 9/47 10/47 11/47 12/47 13/47 14/47 15/47 16/47 17/47 18/47 19/47 20/47 21/47 22/47 23/47 24/47 25/47 26/47 27/47 28/47 29/47 30/47 31/47 1/48 2/48 3/48 4/48 5/48 6/48 7/48 8/48 9/48 10/48 11/48 12/48 13/48 14/48 15/48 16/48 17/48 18/48 19/48 20/48 21/48 22/48 23/48 24/48 25/48 26/48 27/48 28/48 29/48 30/48 31/48 1/49 2/49 3/49 4/49 5/49 6/49 7/49 8/49 9/49 10/49 11/49 12/49 13/49 14/49 15/49 16/49 17/49 18/49 19/49 20/49 21/49 22/49 23/49 24/49 25/49 26/49 27/49 28/49 29/49 30/49 31/49 1/50 2/50 3/50 4/50 5/50 6/50 7/50 8/50 9/50 10/50 11/50 12/50 13/50 14/50 15/50 16/50 17/50 18/50 19/50 20/50 21/50 22/50 23/50 24/50 25/50 26/50 27/50 28/50 29/50 30/50 31/50 1/51 2/51 3/51 4/51 5/51 6/51 7/51 8/51 9/51 10/51 11/51 12/51 13/51 14/51 15/51 16/51 17/51 18/51 19/51 20/51 21/51 22/51 23/51 24/51 25/51 26/51 27/51 28/51 29/51 30/51 31/51 1/52 2/52 3/52 4/52 5/52 6/52 7/52 8/52 9/52 10/52 11/52 12/52 13/52 14/52 15/52 16/52 17/52 18/52 19/52 20/52 21/52 22/52 23/52 24/52 25/52 26/52 27/52 28/52 29/52 30/52 31/52 1/53 2/53 3/53 4/53 5/53 6/53 7/53 8/53 9/53 10/53 11/53 12/53 13/53 14/53 15/53 16/53 17/53 18/53 19/53 20/53 21/53 22/53 23/53 24/53 25/53 26/53 27/53 28/53 29/53 30/53 31/53 1/54 2/54 3/54 4/54 5/54 6/54 7/54 8/54 9/54 10/54 11/54 12/54 13/54 14/54 15/54 16/54 17/54 18/54 19/54 20/54 21/54 22/54 23/54 24/54 25/54 26/54 27/54 28/54 29/54 30/54 31/54 1/55 2/55 3/55 4/55 5/55 6/55 7/55 8/55 9/55 10/55 11/55 12/55 13/55 14/55 15/55 16/55 17/55 18/55 19/55 20/55 21/55 22/55 23/55 24/55 25/55 26/55 27/55 28/55 29/55 30/55 31/55 1/56 2/56 3/56 4/56 5/56 6/56 7/56 8/56 9/56 10/56 11/56 12/56 13/56 14/56 15/56 16/56 17/56 18/56 19/56 20/56 21/56 22/56 23/56 24/56 25/56 26/56 27/56 28/56 29/56 30/56 31/56 1/57 2/57 3/57 4/57 5/57 6/57 7/57 8/57 9/57 10/57 11/57 12/57 13/57 14/57 15/57 16/57 17/57 18/57 19/57 20/57 21/57 22/57 23/57 24/57 25/57 26/57 27/57 28/57 29/57 30/57 31/57 1/58 2/58 3/58 4/58 5/58 6/58 7/58 8/58 9/58 10/58 11/58 12/58 13/58 14/58 15/58 16/58 17/58 18/58 19/58 20/58 21/58 22/58 23/58 24/58 25/58 26/58 27/58 28/58 29/58 30/58 31/58 1/59 2/59 3/59 4/59 5/59 6/59 7/59 8/59 9/59 10/59 11/59 12/59 13/59 14/59 15/59 16/59 17/59 18/59 19/59 20/59 21/59 22/59 23/59 24/59 25/59 26/59 27/59 28/59 29/59 30/59 31/59 1/60 2/60 3/60 4/60 5/60 6/60 7/60 8/60 9/60 10/60 11/60 12/60 13/60 14/60 15/60 16/60 17/60 18/60 19/60 20/60 21/60 22/60 23/60 24/60 25/60 26/60 27/60 28/60 29/60 30/60 31/60 1/61 2/61 3/61 4/61 5/61 6/61 7/61 8/61 9/61 10/61 11/61 12/61 13/61 14/61 15/61 16/61 17/61 18/61 19/61 20/61 21/61 22/61 23/61 24/61 25/61 26/61 27/61 28/61 29/61 30/61 31/61 1/62 2/62 3/62 4/62 5/62 6/62 7/62 8/62 9/62 10/62 11/62 12/62 13/62 14/62 15/62 16/62 17/62 18/62 19/62 20/62 21/62 22/62 23/62 24/62 25/62 26/62 27/62 28/62 29/62 30/62 31/62 1/63 2/63 3/63 4/63 5/63 6/63 7/63 8/63 9/63 10/63 11/63 12/63 13/63 14/63 15/63 16/63 17/63 18/63 19/63 20/63 21/63 22/63 23/63 24/63 25/63 26/63 27/63 28/63 29/63 30/63 31/63 1/64 2/64 3/64 4/64 5/64 6/64 7/64 8/64 9/64 10/64 11/64 12/64 13/64 14/64 15/64 16/64 17/64 18/64 19/64 20/64 21/64 22/64 23/64 24/64 25/64 26/64 27/64 28/64 29/64 30/64 31/64 1/65 2/65 3/65 4/65 5/65 6/65 7/65 8/65 9/65 10/65 11/65 12/65 13/65 14/65 15/65 16/65 17/65 18/65 19/65 20/65 21/65 22/65 23/65 24/65 25/65 26/65 27/65 28/65 29/65 30/65 31/65 1/66 2/66 3/66 4/66 5/66 6/66 7/66 8/66 9/66 10/66 11/66 12/66 13/66 14/66 15/66 16/66 17/66 18/66 19/66 20/66 21/66 22/66 23/66 24/66 25/66 26/66 27/66 28/66 29/66 30/66 31/66 1/67 2/67 3/67 4/67 5/67 6/67 7/67 8/67 9/67 10/67 11/67 12/67 13/67 14/67 15/67 16/67 17/67 18/67 19/67 20/67 21/67 22/67 23/67 24/67 25/67 26/67 27/67 28/67 29/67 30/67 31/67 1/68 2/68 3/68 4/68 5/68 6/68 7/68 8/68 9/68 10/68 11/68 12/68 13/68 14/68 15/68 16/68 17/68 18/68 19/68 20/68 21/68 22/68 23/68 24/68 25/68 26/68 27/68 28/68 29/68 30/68 31/68 1/69 2/69 3/69 4/69 5/69 6/69 7/69 8/69 9/69 10/69 11/69 12/69 13/69 14/69 15/69 16/69 17/69 18/69 19/69 20/69 21/69 22/69 23/69 24/69 25/69 26/69 27/69 28/69 29/69 30/69 31/69 1/70 2/70 3/70 4/70 5/70 6/70 7/70 8/70 9/70 10/70 11/70 12/70 13/70 14/70 15/70 16/70 17/70 18/70 19/70 20/70 21/70 22/70 23/70 24/70 25/70 26/70 27/70 28/70 29/70 30/70 31/70 1

सक्षम अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा पदत सामान्य निवास प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है

श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पुत्री/पत्नी

नकान नंबर

मुहल्ला थाना

उत्तर प्रदेश का/की निवासी का वर्तमान पता

फोटो की एक प्रति सत्यापन करने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित व मुहर लगाकर प्रमाणा की जाय।

उपर्युक्त की पुष्टि प्रासप-1 में आवेदक एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद में सामान्य निवासी होने (वतकपदंतपसल त्मेपकमदज) विषयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हस्ताक्षर

जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी,

का नाम व मुहर।

उपर्युक्त प्रमाण पत्र किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश अथवा किसी सेवायोजन हेतु आवेदन करने के लिए ही केवल जारी किया गया है तथा इससे नागरिकता प्राप्त करने का कोई संबंध नहीं है। उल्लेखनीय है कि नागरिकता का विषय दि सिटीजनशिप एक्ट-1955 में यह स्पष्ट रूप से प्राविधानित है तथा यह भारत सरकार के विचार क्षेत्र का विषय है। यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर प्रश्नचिन्ह हो अथवा इस पर विचार किया जाना हो तो प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन को प्रस्तुत होगा, जिसे अंततः भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित कर दिया जायेगा।

1. यह शासनदेश कृतेकदमिककी जारी किया गया है, जहां इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

2. इस शासनदेश को प्रमाणित एवं सत्यापन करने के लिए जिलाधिकारी को सत्यापित की जाय।

De (14) June 1969

प्रमाण-पत्र प्रारूप नं- 2

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप (UPOBC)

संख्या—

दिनांक—

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी— पुत्र/पुत्री/
श्री— निवासी ग्राम —
तहसील— नगर — जिला — उत्तर प्रदेश
राज्य की — पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी — पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो, जैसा कि उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम-2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम- 2002 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय आठ लाख रूप, या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी— तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के
ग्राम— तहसील— नगर जिला—
में सामान्यतः रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर— दिनांक

पूरा नाम —

स्थान—

पद नाम तथा सील—

मुहर —

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/
सिटीमजिस्ट्रेट/परगना
मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

माह

दिनांक

हस्ताक्षर

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची

अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय टरख, अर्कवंशीय काछी, काछी कुशवाहा, शाक्य कहार, कश्यप केवट या मल्लाह, निषाद थकसान कोइरी कुम्हार, प्रजापति कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल, कुर्मी सैथवार कम्बोज कसंगर कुजड़ा या राईन गोसाई गूजर गड़ेरिया, पाल, और बघेल गद्दी, घोशी थगरि चिकवा (कस्सवा) कुरैशी, चक छीपी, छीपा जेगी झोजा डफाली तमोली, बरई, चौरसिया तेली, सामानी, रोगनगर, साहु, सैनियार दर्जी, इदरीसी, काकतस्था धीवर नक्काल नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)	नायक फकीर बंजारा, रन्की, मुकैरी, मुकोरानी बढई, शैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढिया, जांगिड, धीमान बरी बैरानी बिन्द बियार भर, राजभर भुर्जी, भडभेजा, भूज, कशोधन भठियारा माली, सैनी मनिहार, कचेर, लसैरा मुराव या मुराई, मौर्य मोमिन अंसार भिरासी मुस्लिम कायस्थ मारछा रंगरेज, रंगवा लोधी, लोधा, लौधी, लोटा, लोधी-राजपूत लोहार, शैफी लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर, लोनिया-चौहान सोनार, सुनार, स्वर्णकार स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणियों में सम्मिलित न हो), हलालखोर हलवाई मोदनवाल हज्जाम, नाई, सलमानी, सबिता, श्रीवास रायसिख	सक्का भिस्ती, भिस्ती अब्बासी धोबी (जो अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन-जातियां गंधी, अर्का की श्रेणी में सम्मिलित न हों) कतेरा, ठठेरा, ताम्रकार नानबाई मैर शिकार शेख, सरबरी (पिराई) पीराही मेद, मेवाती कोष्टा/कष्टी रोड खुमरा, संगत राम, हसीरी मोर्चा खागी तंवर सिंघाड़िया कतुआ महीगीर छांगी धाकड़ गाड़ा तंतवा जोरिया पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी जाट कलाल, कलवार, कलार नददाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्देरे, कडरेकिरण (कर्ण)
---	--	---

नोट : उपरोक्त का सत्यापन शासन के निर्दिष्ट से कर लिया जाये।

21/6/95

MM

80/12

प्रमाण पत्र प्रारूप नं- 3

(उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए जाति प्रमाणपत्र का प्रारूप)

संख्या—

दिनांक —

(UPSC/UPST)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी — पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी ग्राम—

तहसील— नगर—
जिला— उत्तर प्रदेश राज्य की
जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 जैसा कि
समय-समय पर संशोधित हुआ (संविधान) अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश (आदेश), 1987 के अनुसार
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी— तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के
ग्राम— तहसील— नगर—
जिला— में सामान्यतया रहता है।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर—
स्थान—
दिनांक —

हस्ताक्षर
पूरानाम
पदनाम तथा सील—
जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतनभोगी
मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/जिला समाज कल्याण अधिकारी

निर्धारित प्रारूप पर डिस्पैच संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे, अन्यथा की स्थिति में
अभ्यर्थन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। प्रत्येक प्रकरण में
काउंसिलिंग बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

11/1/19

WZ

80

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों/जन जातियों की सूची

1- अगरीया	34- धरमी	उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों की सूची
2- बधिक	35- धसिया	
3- वदी	36- गोंड	1- थारू
4- बहेलिया	37- ग्वाल	2- बेनस
5- बैगा	38- हबुड़ा	3- भोटिया
6- बैसवार	39- केली	4- श्राजी
7- बजनिया	40- केला	5- जौनसारी
8- बजगी	41- कलाबाज	शासनादेश संख्या-111 भा-स- /26-03-2003(7)
9- ब्लहर	42- कंजड़	/2003 दिनांक 3-07-2003 के
10- बलई	43- कबडिया	द्वारा भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों एवं
11- बाल्मीकि	44- करबल	अनुसूचित जनजातियों आदेश (संशोधन) अधिनियम
12- बंगाली	45- खरैता	2002 द्वारा निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित
13- बनमानुश	46- खरबार(बनवासी को छोड़कर)	जनजाति की सूची में सम्मिलित किया है:-
14- बांसफोर	47- खटिक	6- गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पटारी, राजगोंड
15- बरवार	48- खरोट	(महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर,
16- बसोड़	49- कोल	देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया,
17- बयरिया	50- कोरी	गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र जनपदों
18- बेलदार	51- कोरवा	में)
19- बेड़िया	52- ललबेगी	7- खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर,
20- भ्रांतु	53- मझवार	वाराणसी एवं सोनभद्र जनपदों में)
21- भुइया	54- मजहबी	8- सहरिया (ललितपुर जिले में)
22- बोरिया	55- मुसहर	9- परहिया (सोनभद्र जिले में)
23- भदयार	56- नट	10- बैगा (सोनभद्र जिले में)
24- चमार, झूसिया,	57- पंखा	11- पंखा, पनिका (सोनभद्र एवं मिर्जापुर में)
धूसिया, जाटव	58- पहरिया	12- अगरीया (सोनभद्र जनपद में)
25- नेरो	59- पसी, तरमाली	13- पटारी (सोनभद्र जनपद में)
26- छबगर	60- पतरी	14- चेरो (सोनभद्र एवं वाराणसी जनपद में)
27- धांगर	61- श्रावत	15- भुइया, भुनिया (सोनभद्र जनपद में)
28- धानुक	62- सहरिया	
29- धरकार	63- सनोरिया	
30- घोबी	64- सांसिया	
31- डोम	65- शिल्पकार	
32- डोमर	66- तुरैहा	
33- दुसाध		

नोट : जो व्यक्ति हिन्दू धर्म से किसी भिन्न धर्म को मानता है वह उत्तर प्रदेश में जैसा कि उपयुक्त सूची में उल्लिखित है, अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जायेगा। विधायी अनुभाग-1 अधिसूचना पत्र दिनांक 06-06-2002 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश-2002 एवं अधिसूचना पत्र दिनांक 25-06-2002 द्वारा प्रख्यापित (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश-2002 के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

21/6/21

21/6/21

21/6/21



UTTAR PRADESH AYUSH NEET
UG COUNSELLING



उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग में दस्तावेज जमा करने हेतु प्रारूप

नाम

रजिस्ट्रेशन नंबर

नीट रोल नं

क्रम	विवरण	चेक	कमेंट
1	आवेदन पत्र		
2	आवेदन पत्र की कॉपी		
3	राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट रु 10,000 / रु 50,000		
4	फोटो (4) एक छोटे पैक /लिफाफा में जिसके पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो		
5	नीट रिजल्ट की फोटोकॉपी		
6	निवास प्रमाण पत्र		
7	पते का प्रमाण		
8	पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड)		
9	जाति प्रमाण पत्र		
10	दिव्यांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/एन०सी०सी०/EWS प्रमाण पत्र		
11	कॉलेज के लिए घोषणापत्र (केवल मा0 न्यायालय से आदेशित कालेजों के लिए)		
12	हाईस्कूल मार्कशीट		
13	हाईस्कूल सर्टिफिकेट		
14	इंटरमीडिएट मार्कशीट		
15	इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट		
16	अन्य दस्तावेज		

नोट: सभी अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में दस्तावेज लगाकर प्रपत्र का प्रारूप सबसे ऊपर संलग्न करें जिस पर उसका नाम, नीट रोल नंबर एवं रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

(जांच अधिकारी का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर)

माह

ML 8/15

**राजकीय आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी) कालेजों में उपलब्ध स्नातक सीटों का विवरण
(शैक्षणिक सत्र 2021-22)**

आयुर्वेद			
क्र०सं०	कालेज का नाम	सीट	शुल्क
1	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय अतर्रा-बांदा	75	रजि० शुल्क- रु०-1000 /- प्रवेश के समय ट्यूशन शुल्क- रु०-10,000 /- विकास शुल्क- रु०-2000 /- अन्य शुल्क- रु०-2000 /- काशन मनी- रु०-4000 /- कुल शुल्क- रु०-19,000 /- आरक्षित श्रेणी के लिये ट्यूशन शुल्क 50 प्रतिशत एवं कुल शुल्क- रु०-14,000 /- होगा।
2	एस०आर०एम० राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय बरेली	75	
3	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत	63	
4	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय वाराणसी।	75	
5	बुन्देलखण्ड राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय झांसी।	50	
6	एल.बी.एस. राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय हण्डिया प्रयागराज।	75	
7	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ।	75	
8	एस.के.डी. राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, रामपुर- मुजफ्फरनगर	75	
	योग	563	
यूनानी			
1	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज प्रयागराज	75	तदैव
2	राजकीय तकमिल उत्तिब कालेज लखनऊ	75	
	योग	150	
होम्योपैथी			
01	राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ	125	तदैव
02	राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, प्रयागराज	125	
03	प० जवाहर लाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर	125	
04	राजकीय के०जी०के० होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मुरादाबाद।	125	
05	राजकीय गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गाजीपुर	63	
06	राजकीय डा० बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, फैजाबाद।	38	
07	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, एवं चिकित्सालय, गोरखपुर	125	
08	राजकीय श्री दुर्गाजी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, आजमगढ़।	125	
09	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, एवं चिकित्सालय, अलीगढ़	125	
	योग	976	

मा५५

MR

7/2

प्रदेश के निजी क्षेत्र के आयुष (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी) महाविद्यालयों की सूची				
क्र० सं०	यूनानी	सीटों की सं०	N.C.I.S.M. से मान्यता प्राप्त होने की तिथि	निर्धारित शुल्क
1	शम्भू-ए-गौसिया माइनारिटी यूनानी मेडिकल कालेज, मुहल्ला-बरबरहना हिम्मत खान की मस्जिद, जिला गाजीपुर-233001	40	26.08.2021	1,98,000 / -
2	डा० अब्दुल अली तिब्बिया कालेज एण्ड हास्पिटल, कटौली, मलिहाबाद, लखनऊ-227111	50	03.09.2021	2,00,000 / -
3	गौसिया यूनानी मेडिकल कालेज, कश्मीरीपुर देवमई, तहसील बिन्दकी, फतेहपुर-212601	60	03.09.2021	2,04,000 / -
4	जामिया तिब्बिया, जी-टी, रोड, देवबन्द, सहारनपुर-247001	60	03.09.2021	2,04,000 / -
5	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज, न्यू बॉस नियर तलहेड़ी चुंगी, देवबन्द, सहारनपुर-247001	60	03.09.2021	2,04,000 / -
6	हकीम रईस यूनानी मेडिकल कालेज, मखदुमपुर, मुरादाबाद रोड, सम्भल-244302	50	09.09.2021	2,04,000 / -
7	अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज, रुड़की रोड, निकट सत्संग भवन, मुजफ्फरनगर पिन-251001	60	14.09.2021	2,04,000 / -
8	इब्ने सीना तिब्बिया कालेज एण्ड हास्पिटल, बीनापारा बाया सरायमीर आजमगढ़-276001	45	24.09.2021	1,50,000 / -
9	इरम यूनानी मेडिकल कालेज, कुर्सी रोड, गुडम्बा, लखनऊ-226022	60	14.12.2021	2,64,000 / -
10	हयात यूनानी मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, हयात कम्प्लेक्स, हरदोई रोड, काकोरी, लखनऊ-247121	60	08.10.2021	2,04,600 / -
11	ग्लोकल यूनानी मेडिकल कालेज, सहारनपुर	60	14.01.2022	2,04,000 / -
	कुल योग-	725		
	होम्योपैथिक			
1	बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज ग्रेटर नोयडा गौतमबुद्ध नगर।	100		2,25,000 / -
2	नैमीनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, आगरा	100		2,00,000 / -
	योग-	200		

मास

साल

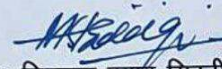
क्र० सं०	आयुर्वेद	सीटों की सं०	N.C.I.S.M. से मान्यता प्राप्त होने की तिथि	निर्धारित शुल्क
1	गुरु गोरखनाथ इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, सोनबरसा, बालापार मानीराम, गोरखपुर	100	24.08.2021	2,65,800 / -
2	एस0ए0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, रामेश्वर रोड, हरहुआ, वाराणसी	60	26.08.2021	2,55,500 / -
3	कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर एण्ड हास्पिटल, गोरहा, कासगंज	60	26.08.2021	2,35,700 / -
4	शम्भे गौसिया आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहेडी, गाजीपुर	60	26.08.2021	3,00,000 / -
5	गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, मनपुरिया जानकी प्रसाद बीसलपुर रोड, बरेली	100	26.08.2021	2,70,600 / -
6	एन्कराइट आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, ग्राम परवरपुरब, पो0 मोहनलालगंज, लखनऊ	100	27.08.2021	2,53,900 / -
7	सरदार पटेल इन्स्टीट्यूट आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, ग्राम-कनकहॉ, पो0- मोहनलालगंज, लखनऊ	100	27.08.2021	2,55,700 / -
8	आर0बी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, जलेसर रोड, आगरा।	100	10.09.2021	2,52,400 / -
9	आर0के0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, आजमगढ़।	60	14.09.2021	2,30,800 / -
10	जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, खैर रोड, अलीगढ़	60	21.09.2021	2,54,200 / -
11	डा0 विजय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, बन्धाकलॉ, कैथी, वाराणसी	60	21.09.2021	2,04,600 / -
12	प्रकाश इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कालेज झाँझर, बुलन्दशहर	60	21.09.2021	2,60,500 / -
13	श्री रामचन्द्र वैद्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, यमुना विहार मल्हौर रोड नियर एल्डिको तिराहा, चिनहट, लखनऊ	60	21.09.2021	2,58,700 / -
14	शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, बिजराँवा बनखेड, आजमगढ़	60	21.09.2021	2,55,800 / -
15	डब्लू0टी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एव हास्पिटल जोया सम्भल रोड, फतेहपुर मौंझी पो0 पलौला, अमरोहा।	60	21.09.2021	2,51,100 / -
16	जी0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, एन0 एच024 पिलखुआ, हापुड	100	24.09.2021	2,59,700 / -
17	बाबू सिंह जय सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, भाउपुर बेवर रोड फतेहगढ़ फरुखाबाद	100	24.09.2021	2,28,800 / -
18	एस0आर0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, सिकन्दरापुर, पोस्ट तेहरा ग्वालियर रोड आगरा	60	24.09.2021	2,04,600 / -
19	बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लाडनपुर, कोपागंज, मऊ	100	24.09.2021	2,48,000 / -

20	एस0के0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल एन0एच0-2, ग्राम चौमुहा मथुरा।	100	24.09.2021	2,59,800/-
21	श्री सत्य आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल धानुपुरा, दिल्ली रोड, पो0- पाकबारा मुरादाबाद।	100	24.09.2021	2,04,600/-
22	संजीवनी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, अमरोहा।	100	24.09.2021	2,50,900/-
23	वैद्य यज्ञ दत्त शर्मा आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, धरपा पावर हाउस के सामने जी0टी0रोड खुर्जा, बुलन्दशहर	100	01.10.2021	2,59,100/-
24	संस्कृति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मथुरा दिल्ली हाइवे, छाता मथुरा	100	01.10.2021	2,60,900/-
25	इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुष मेडिकल साइंसेज, विमलार्जुन नगर भागूखेडा, मोहनलालगंज, लखनऊ	100	08.10.2021	2,51,200/-
26	प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एव हास्पिटल ग्राम बक्काखेडा माल मलिहाबाद रोड लखनऊ।	50	08.10.2021	2,45,700/-
27	धन्वन्तरि आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल ग्राम चितौली पो0 फतेहगज तहसील मीरगंज बरेली।	60	08.10.2021	2,52,200/-
28	कुर्वर शंखर विजेन्द्र आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एव हास्पिटल गंगोह, सहारनपुर।	100	08.10.2021	2,52,100/-
29	दिव्य ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अजीतमहल, निवारी रोड, मोदीनगर गाजियाबाद।	100	08.10.2021	2,60,600/-
30	विवेक कालेज आफ आयुर्वेदिक साइन्सेज एण्ड हास्पिटल मुरादाबाद रोड, बिजनौर।	100	16.10.2021	2,34,400/-
31	श्री साई आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, जी0टी0 रोड सरसील, अलीगढ़	100	18.10.2021	2,57,800/-
32	जीवक आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, कमलापुर, इकौनी, चन्दौली	60	22.10.2021	2,60,600/-
33	बाबू सिंह ददू जी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, कृष्णानगर (बघार) कानपुर रोड फतेहगढ़, फर्रुखाबाद	100	26.10.2021	2,52,900/-
34	भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, रुडकी रोड पो0 बरला, मुजफ्फरनगर।	100	26.10.2021	2,25,000/-
35	चन्द्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान, कोइलहा, सैयद सरायों, कौशाम्बी	60	15.11.2021	2,59,000/-
36	के0वी0एस0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल मरदापुर पो0- बक्सरपुर गाजीपुर।	60	16.11.2021	2,04,600/-
37	भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, ग्राम कुदेना, गजरौला, जे0पी0 नगर।	60	16.11.2021	2,49,300/-
38	मेजर एस0डी0 सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बेवर रोड फतेहगढ़, फर्रुखाबाद	100	18.11.2021	2,59,200/-
39	दून आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, सहारनपुर	60	22.11.2021	2,04,600/-
40	ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, ग्रेटर नोएडा	60	03.12.2021	2,45,400/-
41	एस0सी0पी0एम0 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हारीपुर, गोण्डा	100	13.01.2022	2,32,100/-

42	रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मन्धना, कानपुर	100	04.01.2022	2,04,600 / -
43	नेमिनाथ आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, कुबेरपुर, आगरा	100	14.01.2022	2,04,600 / -
44	कृतिका आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, खखेड़ा, नवाबगंज, बरेली	60	24.01.2022	2,04,600 / -
45	बाबू युगराज सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बाघामऊ, गोमतीनगर विस्तार, सेक्टर-6, लखनऊ	60	25.01.2022	2,04,600 / -

नोट:- उपरोक्त आयुष (आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी) महाविद्यालयों की सूची के अतिरिक्त यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग / राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु आयुष महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान की जाती है, ऐसे महाविद्यालयों को, उनके अनुरोध पर उपरोक्त सूची में उसी क्रम में काउंसिलिंग हेतु सम्मिलित कर लिया जायेगा।


(प्रो० मनीज यादव)
निदेशक होम्योपैथी,
उ०प्र०, लखनऊ


(डा० मो० सिकन्दर हयातु सिद्दीकी)
निदेशक यूनानी,
उ०प्र०, लखनऊ


(प्रो० एस०एन० सिंह)
निदेशक आयुर्वेद,
उ०प्र०, लखनऊ